

**कार्यालय जिला पंचायत,
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)**



दूरभाष-07727222076

फैक्स-07727222076

ई-मेल-zp-balodabazar.cg@gov.in

//आदेश//

क्रमांक/ 4512 /जि.पं./प्र.मं.आ.यो.-ग्रा./2017-18

बलौदाबाजार, दिनांक 1 JUL 2017

विकास आयुक्त कार्यालय के पत्र क्रमांक/253/वि-6/प्रमआयो(ग्रा)/2017 नया रायपुर, दिनांक 04.05.2017 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जनपद पंचायत स्तर में 06 पद विकासखंड समन्वयक का संविदा पद स्वीकृत किया गया है। जिनके लिए भर्ती प्रक्रिया उपरांत पदस्थापना स्थान में संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है।

| क्रं. | अभ्यर्थी का नाम | पिता/पति का नाम | पद का नाम | पदस्थापना | वेतन एक मुस्त प्रति माह |
|-------|-----------------|--------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | हेमलता सिंह | श्री जी.एल. गोड़ | विकासखंड समन्वयक | जनपद पंचायत भाटापारा | 23086 रु. |
| 2 | सत्यशिखर बारले | श्री सत्यशिखर बारले | विकासखंड समन्वयक | जनपद पंचायत बिलाईगढ़ | 23086 रु. |
| 3 | मिथलेश कुमार | श्री गौराम | विकासखंड समन्वयक | जनपद पंचायत कसडोल | 23086 रु. |
| 4 | सौम्या सोनी | श्री रामशंकर सोनी | विकासखंड समन्वयक | जनपद पंचायत पलारी | 23086 रु. |
| 5 | हेमलता देवांगन | श्री गिरीश कुमार देवांगन | विकासखंड समन्वयक | जनपद पंचायत सिमगा | 23086 रु. |

यह नियुक्ति निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अधीन की जाती है:-

1. संविदा नियुक्ति अधिकतम तीन वर्ष के लिए होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनो पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष के लिए निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
2. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. एफ 9-1/2012/1-3 दिनांक 31 दिसंबर 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबन्ध में समस्त शर्तें लागू होंगी।
3. संविदा अवधि में छ.ग. सिविल सेवा संविदा नियुक्ति 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
4. नियुक्त व्यक्ति छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे।
5. संविदा अवधि के दौरान दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
6. सेवा समाप्ति के पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उत्पादन, या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
7. यह पद पूर्णतः अस्थायी है।
8. समय-समय पर अधोहस्ताक्षरी/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन करना बंधनकारी होगा।
9. आदेश जारी होने के 7 दिवस के अंदर पदस्थापना कार्यालय में उपस्थित नहीं होने पर नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बलौदाबाजार-भाटापारा

कार्यालय जिला पंचायत,
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)



दूरभाष-07727222076

फैक्स-07727222076

ई-मेल-zp-balodabazar.cg@gov.in

क्रमांक/ ५९१३ /जि.पं./प्र.मं.आ.यो.-ग्रा./2017-18

बलौदाबाजार, दिनांक 1 JUL 2017

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन पंचायत की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर को सादर सूचनार्थ।
4. संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विकास आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर को सादर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा को सादर सूचनार्थ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत भाटापारा/बिलाईगढ़/कसडोल/पलारी/सिमगा को सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि संबंधित विकासखंड समन्वयक के पदग्रहण पश्चात् जिला पंचायत को सूचित करें।
7. संबंधित को सूचनार्थ एवं पदस्थापना कार्यालय में तत्काल उपस्थिति दे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बलौदाबाजार-भाटापारा